**न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात**

**मुकदमा सं०–776/2010**

**सरकार बनाम राज नरायन।**

**<u>आरोप</u>**

मैं कृपा शंकर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात में आप अभियुक्त सुरजीत यादव को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 27/01/2010 को घटना स्थल ग्राम पचलख थाना सट्टी जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर उपहति कारित की इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा–323 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने उपरोक्त वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 506 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि आप अभियुक्त ने मुकदमा वादी के 75,000/– रूपये को अपने पास रख लिया, जिसका आपने बेईमानी से दुर्विनियोग किया। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 406 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

कृपा शंकर

दिनांक 24.03.2022

सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO.UP02625

उक्त आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

कृपा शंकर

दिनांक 24.03.2022

सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO.UP02625